फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

। : अम्बालाल
विपक्षी : राज्य
पत्रावली संख्या : 04/19

म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 15.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी के मौरूस के नाम दर्ज भूमि पूर्व साबिक नम्बर 465/3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा दर्ज थी। जिसकी नपती पुराने डोरी 152.5 फीट के हिसाब से रेकार्ड में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के पश्चात् उक्त आराजी के नये नम्बर 529 हुए जिसका रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। चूंकि नई जरीब सेटलमेन्ट के बाद 132 फीट अनुसार पुराने रकबे का माप 11 बीघा 8 बिस्वा होता हैं लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान रकबे में त्रुटि होकर नये नम्बर 529 का रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा ही अंकित हो गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई विशेष खण्डन नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार भूमि प्रार्थी के पिता सुखदेव के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी मिलान खसरा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार आराजी नम्बर 465/3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के नये नम्बर 529 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा होना जाहिर आया हैं। वर्तमान में उक्त जमीन सुखदेव की विरासत से प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। पत्रावली एवं दस्तावेजों के अध्ययन से सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा पुरानी जरीब 152.5 एवं नई जरीब 132 फीट की गणना में त्रुटि कर दी गई। जिस वजह से प्रार्थी के नाम रकबा कम दर्ज होना स्पष्ट जाहिर होता हैं। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 529 किता 1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बजाय आराजी नम्बर 529 किता 1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned by CamScanner